कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]
[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

कमांक/तक.अधि./...428.....   बिलासपुर दिनांक 19/03/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest Land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase-II. Bharatnet Project which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fibre cable laying approximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 distict across the state, area – 6.897 ha regarding.**
पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/OFC/42622/2019**

संदर्भ :–
1. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्र./ एफ–5–14/2020/10–2 दिनांक 02.09.2020
2. अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र कं./भू–प्रबंध/विविध/ 115–827/1770 नवा रायपुर दिनांक 07.10.2020
3. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर पत्र क्र./एफ–5–14/2020/10–2 दिनांक 03.02.2021

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा वांछित अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

बिंदु क्र.	छ0ग0 शासन का पत्र 02.09.2020 में उल्लेखित बिन्दु	जानकारी
1	प्रस्ताव के पृष्ठ कं. 03 के अनुसार वन विभाग का 0.307 हे. वन क्षेत्र भी प्रकरण में आवेदित है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन प्रकरण का प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्र./तक.अधि./611 दिनांक 04.06.2020 द्वारा आपकों प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के परिक्षेत्र, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के संबंध में त्रुटियाँ विद्यमान थी। वर्तमान में अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध/वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र. /भू–प्रबंध /विविध /115–827/481 नया रायपुर दिनांक 17.02.2021 द्वारा उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी है, इस परिपेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रथम चरण स्वीकृति प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है। त्रुटियों का निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ को कार्यालयीन पत्र कमांक/तक.अधि./1385 दिनांक 01.03.2021 द्वारा लेख किया गया था। आवेदक विभाग से उनके पत्र क्र. /551/समुकाअ/चिप्स/2021 रायपुर दिनांक 09.03.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सुधार कार्य कर जानकारी प्राप्त हुई है, विवरण निम्नानुसार है :– **प्रस्ताव अंतर्गत अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा :–** 1. मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना मण्डल बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत प्रभावित रकबा **1.906 हे., (अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है)** 2. बिलासपुर वनमंडल (सामान्य) बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत प्रभावित रकबा **4.563 हे.।** 3. राजस्व वन क्षेत्र **रकबा 0.428 हे.** **योग :– कुल प्रभावित वन क्षेत्र का रकबा 6.897 हे.** तदानुसार प्रस्ताव में एवं सर्वे ऑफ इण्डिया मानचित्र स्केल 1:50000 में आवेदक एजेन्सी द्वारा सुधार कर दिया गया है। **(एक प्रति संलग्न है)**

D:/MS_ Word/Office CCF-18   205

बिंदु क्र.	छ0ग0 शासन का पत्र 02.09. 2020 में उल्लेखित बिन्दु	जानकारी
2	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में प्रभावित गैर वनक्षेत्र का विवरण संदर्भित पत्र के बिन्दु कं 4 के अनुसार 69.3247 हे. है। कृपया उपरोक्त गैर वनक्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रदायित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में प्रभावित गैर वनक्षेत्र का विवरण संदर्भित पत्र के बिन्दु कं 4 के अनुसार 69.3247 हे. है। छ0ग0 शासन इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर दिनांक 29.01.2018 पत्र क्र. 4–4/2018/56/इ.सु.प्रो. राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 4–54/2014/56/इ.सु.प्रो. दिनांक 26/06/2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत भारतनेट परियोजना अंतर्गत मार्ग के किनारों पर ऑपटिकल फायबर बिछाने के लिये राईट ऑफ वे की निशुल्क अनुमति प्रदान की गई है। **(संलग्न है)** इस परिपेक्ष में आवेदक एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित गैर वनक्षेत्र रकबा 69.3247 हे0 का विस्तृत विवरण प्रदाय नहीं किया गया है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ कें 21 में 1:15000 स्केल का नक्शा "इंडेक्स मैप" के रूप में प्रस्ताव में संलग्न दर्शाया गया है किन्तु उक्त नक्शा प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ कं. 21 में दर्शित स्केल 1:15000 का नक्शा संलग्न किया जा रहा है।
4	संदर्भित पत्र के बिन्दु कं. 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है जबकि वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ कं. 50 में प्रदायित भाग–2 के बिन्दु क्र. i(iv) अनुसार यह 0. 4 से 0.6 है।	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के पृष्ठ कं 50 में प्रदायित भाग–2 के बिन्दु कं . i(iv) अनुसार यह 0.4 से 0.6 है। कार्यालय प्र.मु.व.सं. छत्तीसगढ़ के पत्र क / भू–प्रबंध /विविध /115–827/1529 नवा रायपुर दिनांक 18.08.2020 के बिंदु कं 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है। जिसे संबंधित कार्यालय स्तर पर संशोधित किया जाना है।
5	संदर्भित पत्र के बिन्दु कं 16 अनुसार जिले में विषयांकित प्रकरण के अनुरूप "एक" प्रकरण में वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है जबकि पृष्ठ कमांक 73 अनुसार यह जानकारी "NIL" लेख किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के चेक लिस्ट कं. 16, पृष्ठ कं. 73 में यह जानकारी "NIL" लेख किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इस श्रेणी का किसी भी प्रकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार दो प्रतियों में।

01. बिन्दु कमांक 01 – 42 पेज।

02. 02. बिन्दु कमांक 02 – 02 पेज।

03. बिन्दु कमांक 03 – सर्वे ऑफ इण्डिया 01 नक्शा एवं स्टॉक मैप– 04 नग।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल ,बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./तक.अधि./429 बिलासपुर, दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल ,बिलासपुर (छ.ग.)

D:/MS_ Word/Office CCF-18